# कार्यालय महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड
## ग्राम–डांडा लखौण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून,
ई–मेलः dghealth.uttarakhand@gmail.com, दूरभाषः 0135–2608763, फैक्सः 0135–2608746


पत्रांक 2प/रा0पु0/36/2022/9903 देहरादून, दिनांक 05 मई, 2022

## नोटिस

**उत्तराखण्ड राज्य में प्रतिभूति बॉण्ड से आच्छादित बॉण्डधारी चिकित्सकों के पी0जी0 किये जाने के उपरान्त आतिथि तक बॉण्ड की शर्तो के अनुसार योगदान न किये जाने के सम्बन्ध में/अनुपस्थिति के सम्बन्ध में।**

उत्तराखण्ड राज्य के सरकारी राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी, नैनीताल तथा राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर गढ़वाल, उत्तराखण्ड से प्रतिभूति बॉण्ड भरकर रियायती दरों पर एम0बी0बी0एस0 परीक्षा उर्त्तीण समस्त बॉण्डधारी चिकित्सक (संविदा बॉण्डधारी/नियमित बॉण्डधारी) जो चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विभाग उत्तराखण्ड के विभिन्न चिकित्सा इकाईयों में तैनात थे तथा तीन वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम एवं दो वर्षीय स्नाकोत्तर डिप्लोमा मे प्रवेश लिया था तथा उनके द्वारा आतिथि तक तीन वर्षीय स्नाकोत्तर पाठ्यक्रम/दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पूर्ण किये जाने के उपरान्त भी एम.बी.बी.एस. के समय भरे गये प्रतिभूति बॉण्ड तथा उनके द्वारा दिये गये शपथ पत्र की शर्तो के अनुसार स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून में अपनी योगदान सूचना प्रस्तुत नही की गई है, को इस नोटिस के माध्यम से एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे इस नोटिस प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के भीतर कार्यालय , महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण , उत्तराखण्ड देहरादून में अपना योगदान प्रस्तुत करें। नोटिस प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के भीतर महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड देहरादून को योगदान प्रस्तुत न करने वाले समस्त तीन वर्षीय स्नाकोत्तर पाठ्यक्रम/दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पूर्ण बॉण्डधारी (संविदा बॉण्डधारी/नियमित बॉण्डधारी) चिकित्सकों को अनुपस्थित मानते हुये इन अनुपस्थिति चिकित्सकों के विरूद्व बॉण्ड की वसूली हेतु नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित बॉण्डधारी चिकित्सक का होगा।

ऐसे तीन वर्षीय स्नाकोत्तर पाठ्यक्रम/दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पूर्ण बॉण्डधारी चिकित्सक जो प्रतिभूति बॉण्ड के अनुसार सेवायें नही करना चाहते है, वे राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर तथा राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी के प्राचार्य से सम्पर्क कर प्रतिभूति बॉण्ड के अनुसार धनराशि जमा करा कर बॉण्ड से मुक्त हो सकते है।

इसके अतिरिक्त उन समस्त बॉण्डधारी चिकित्सको को भी नोटिस निर्गत किया जाता है जो अपने तैनाती स्थल से अनुपस्थित है, वे इस नोटिस प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के भीतर साक्ष्य सहित अपनी अनुपस्थिति के सम्बन्ध में महानिदेशालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

यह नोटिस उन बॉण्डधारी चिकित्सकों पर लागू नही होगा जिनके विरूद्व पूर्व में नियमानुसार भू–राजस्व के माध्यम से वसूली का नोटिस निर्गत किया जा चुका है एवं उनके विरूद्व वसूली की कार्यवाही गतिमान है।

**महानिदेशक**